

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... जिला कलेक्टर मुकाम..... टोंक

रमेश चंद 2/0 भगवतल सुभाष बनाम..... उपखण्ड अधिकारी टोंक

कसम मुकदमा..... BPL अपील नं. 01 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21 $\frac{9}{2020}$	<p>अपील विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी टोंक केस हुई। फर्द अहकाम की जाके। उपखण्ड अधिकारी टोंक के सम्बन्धित पत्रावली एक कर दिनांक 19-10-2020 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	<p>पत्रावली प्राप्त</p>
13 $\frac{10}{2020}$	<p>पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी टोंक से पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में पत्रावली दिनांक 12-11-2020 को पेश हो। P.O. नम्बर 56 महोदय ने लाभ दिनांक में पेश है।</p>	
12 $\frac{11}{2020}$	<p>पत्रावली पेश हुई। अपील अतुल्य है। उपखण्ड अधिकारी टोंक की पत्रावली का अकलेशन किया जायत। तदुपलक्ष्य में रिफर जो पत्रावली में संलग्न है के अनुसार अपील केस की बीजारी को जीटित है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। अतः उपखण्ड अधिकारी को B.P.L अपील में परामर्श की कार्यवाही करें। पत्रावली निम्नलिखित मुकदमा के बाद तदुपलक्ष्य यफर है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	